कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.गा.यो), जिला बांसवाड़ा

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

क्रमांक :– जिप/बांस/ईजीएस/08–09/2301 दिनांक :– 26.2.09

–:: विज्ञप्ति ::–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत आम जनता को योजना से संबंधित कोई भी जानकारी देने, कार्यकम की शिकायत दर्ज कराने अथवा प्रभावी कियान्वयन हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर एक हैल्पलाईन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना हैं । इस प्रकोष्ठ में टोल फ्री फोन स्थापित किया जावेगा, जिस पर किसी भी स्थान से जनता द्वारा निशुल्क कॉल किये जा सकेगें। हैल्प लाईन संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था/कॉल सेन्टर/पंजीकृत संस्था/राजकीय अर्द्ध–राजकीय संस्था जो हैल्पलाईन अथवा इस तरह की या इससे मिलती–जुलती गतिविधियों के संचालन में एक वर्ष का अनुभव/क्षमता रखते हों, से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25 मार्च 2009 तक प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं । निविदा शुल्क राशि रुपयें 100/– कार्यालय में जमा कराकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं । प्राप्त निविदाओं को स्वीकार करने/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर के पास सुरक्षित हैं । हैल्प लाईन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं ।

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (NREGS)
जिला बांसवाड़ा

D:\NREGA\NREGP\EGS-Let-Jan09-Mar09.doc